

21.4.2022

पत्रावली पेश हुई। गादी कमील उपस्थित  
जैसे इसे गादी वारी स्वयं उपस्थित हुआ  
दिनांक 1.7.2021 से आज दिनांक तक  
परिभाषी नं. 4, 6, 7, 8, 9 व 20 के लक्ष्य  
हेतु लखवाना पेश नहीं किए जाये हैं।  
अतः पत्रावली अडम हाजिरी एवं अडम  
पैरवी व अडम कमील से खारिज  
की जाती है। पत्रावली के सपथ शुमार  
होकर नम्बर से कम होकर वादतकमील  
कारिवाल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कौली (राज०)